<u>**निर्देश सं - 37**</u>

राष्ट्रीय राजधा नी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में
वायु गुणवक्ता प्रबंधन आयोग

तृतीय तल , इंडियन आयल भवन,
01, श्री अरबिन्द मार्ग, यूसुफ सराय,
नई दिल्ली-110016

दिनांक 16. 09. 2021

स. ए - 110014 /10 /2020 /सी. ए. क्यू. एम.- एस. बी. /920

विषय- पराली जलाने की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु कार्य योजना का कार्यान्वय एवं समीक्षा - पंजाब |

1. जबकि, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवक्ता प्रबंधन अधिनियम 2021 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों एवं निकटवर्ती क्षेत्रो में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (एतद्पश्चात आयोग के तौर पर संदर्भित) का गठन किया है:

2. जबकि, अधिनियम 2021 की धारा 30 में प्रावधान किया गया है की पहले अध्यादेश 2020 के तहत किया गया या की गई कार्रवाई को अध्यादेश 2021 के समरूप किया गया समझा जायेगा |

3. जबकि, अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत आयोग को शक्तियाँ दी गई हैं, कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को संरक्षण एवं सुधार के उद्देश्य से ऐसे सभी उपाय करे, निर्देश आदि जारी करें, जैसा कि वह आवश्यक या उचित समझे |

4. जबकि, अधिनियम की धारा 12 (2) (XI) आयोग को शक्ति देती है, कि वह लिखित रूप में किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को निर्देश दें और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निर्देश का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे|

5. जबकि, आयोग ने अपनी राय व्यक्त की है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता के लिए पराली जलाना एक गंभीर चिंता की बात है और वायु गुणवत्ता पर इसके गंभीर परिणाम हो रहे है और इस मुद्दे पर आयोग के साथ पंजाब, हरियाणा, उ. प्र., राजस्थान राज्य सरकारों, जी. एन. सी. टी. डी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्य प्रदूषण आयोगों,पंजाब और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समितियों (डी. पी. सी. सी.) और ज्ञान संस्थान जैसे भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (आई. सी. ए. आर.), भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्थान (आई. ए. आर. आई.), भारतीय अंतरिक्ष अनुसन्धान संगठन (आई. एस. आर. ओ.), गैर सरकारी संगठनों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कार्य कर रहे, नागरिक समाज समूहों आदि सहित सभी हितधारकों के साथ बैठकों की श्रृंखला में विचार-विमर्श हुआ| |

6. जबकि, दिनांक, 10.06.2021 के निर्देश के तहत आयोग ने सम्बंधित राज्यों को फसल अवशिष्ट को जलाने पर नियंत्रण/कम करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान की है और निर्देश दिया कि ढांचा में दी गयी, रूपरेखा के अनुसार राज्य विशिष्ट कार्य योजना बनाए|

7. जबकि, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारों ने राज्य विशिष्ट कार्य योजना बनाकर आयोग को प्रस्तुत की है |

8. जबकि, आयोग ने दिनांक 28.07.2021 को पराली जलाने की समस्या को हल करने के लिए पर-स्थाने पराली प्रबंधन के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकारों को एडवाइजरी जारी किया |

9. जबकि, आयोग ने दिनांक 16.08.2021 के परामर्श के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की राज्य सरकारों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसन्धान संगठन (आई एस आर ओ) द्वारा विकसित मानक प्रोटोकॉल के अनुसार उपगृह आंकड़ों का प्रयोग करके आग की घटनाओ को मॉनिटर और रिपोर्टिंग करने के लिए परामर्श दिया |

10. जबकि, आयोग की दिनांक: 19 अगस्त 2021और 24 अगस्त 2021को आयोजित पांचवी बैठक में आगे विचार विमर्श हुआ, जिसमे पंजाब, हरियाणा, और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने आयोग को अपनी -अपनी सबंधित कार्य योजना प्रस्तुत की और आयोग
ने इन राज्यों को परामर्श दिया कि इन बैठकों के कार्यवृत द्वारा यथा सम्प्रेषित के अनुसार अपनी कार्य योजना को अद्यतन/सुधार करें |

11. जबकि, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनाँक: 06.09.2021 को कार्यालय ज्ञापन में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को बताया कि पराली जलाने को नियंत्रित करने / जड़ से समाप्त करने के लिए एवं उनकी विस्तृत कार्ययोजना का कार्यान्वयन करने हेतु हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को निर्देश जारी करें |

12. अब, इस लिए, उपरोक्त के मद्देनज़र और धान की भूसी को जलाने पर नियंत्रण लगाने की अति आवश्यकता के कारण " राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 "के तहत गठित आयोग एतदद्वारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राजस्थान की सरकारों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को निर्देश देता है: -

    (1) पराली जलाने पर नियंत्रण एवं जड़ से समाप्त करने के लिए बनायीं गयी रूपरेखा एवं विस्तृत कार्य योजना को मूल भावना के साथ प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करना जिसमे दिनांक 9. 08.2021 एवं 24.08.2021 को आयोजित आयोग की बैठक में कार्य योजना के बारे में लिए गए निर्णय शामिल हैं |

    (2) विभिन्न स्तरों पर ढाँचा / राज्य विशिष्ट कार्य योजना की अक्सर समीक्षा करना और उसकी करीब से निगरानी करना |

13. उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में की गयी कार्रवाई रिपोर्ट 17 सितम्बर 2021 से शुरू करके साप्ताहिक आधार पर आयोग को प्रस्तुत की जायेगी |

हस्ता०
(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य सचिव
दूरभाष सं।. 011 -23701197
011-23446819

ईमेल : arvind.nautiyal@gov.in

सेवा में,

मुख्य सचिव, पंजाब सरकार, छठा तल, पंजाब सिविल सचिवालय -1, सेक्टर-1, चंडीगढ़ - 160001,